

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/115/2025

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/181

प्रवेश तिथि
20.03.2025

निर्णय दिनांक
18.07.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. कुन्दन राम पुत्र श्री सोबला जाति चमार निवासी ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर।
2. श्रीमती किशनदेई पत्नी स्व० श्री प्रेमचन्द जाति चमार निवासी ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर।
3. बक्शी पुत्र श्री देवी सहाय जाति चमार निवासी ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर।
4. मवासी पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति चमार निवासी ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर।
5. श्रीमती शिताबी पत्नी श्री सोबलाराम जाति चमार निवासी ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर।
6. शिबूराम पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति चमार निवासी ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर।
7. सुरेश चन्द पुत्र श्री सोबलाराम जाति चमार निवासी ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्त श्रीमती शिताबी पत्नी श्री सोबलाराम जाति चमार निवासी ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण


अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

02— अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—वकील प्रार्थी



तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर की साबिक आराजी खसरा न० 204 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.38 है० व 217 रकबा 0.20 है० कुल किता 2 रकबा 0.58 है० भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तामील रिपोर्ट में तामील कुलिन्दा द्वारा अवगत कराया गया है कि अप्रार्थीगण कुन्दन राम पुत्र श्री सोबलाराम, श्रीमती किशनदेई पत्नी श्री प्रेमचन्द, बक्शी पुत्र श्री देवी सहाय, मवासी पुत्र श्री प्रेमचन्द, श्रीमती शिताबी पत्नी श्री सोबलाराम, शिबूराम पुत्र श्री प्रेमचन्द व सुरेश चन्द पुत्र श्री सोबलाराम जाति चमार निवासीयान ग्राम अलवर नं. 1 में उपस्थित ग्रामवासियों अनुसार उक्त नाम के कोई

आ. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

व्यक्ति ग्राम अलवर नं. 1 में नहीं रहते हैं। अतः अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण कुन्दन राम पुत्र श्री सोबलाराम, श्रीमती किशनदेई पत्नी श्री प्रेमचन्द, बक्शी पुत्र श्री देवी सहाय, मवासी पुत्र श्री प्रेमचन्द, श्रीमती शिताबी पत्नी श्री सोबलाराम, शिबूराम पुत्र श्री प्रेमचन्द व सुरेश चन्द पुत्र श्री सोबलाराम जाति चमार निवासीयान ग्राम अलवर नं. 1 तहसील व जिला अलवर के नाम से साबिक आराजी खसरा नं0 204 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम अलवर नं. 1 तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान आवंटित होकर जमाबन्दी सम्वत 2070-2074 के खाता संख्या नया 394 पुराना 407 में उनकी गैर खातेदारी में दर्ज है। जिस आराजी के हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.38 है0 व 217 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.58 है0 है।

ग्राम अलवर नं. 1 तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की 204 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कृषि अप्रार्थीगण को आवंटित हुई थी। जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2070-2074 के खाता संख्या नया 394 पुराना 407 में अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। ग्राम अलवर नं. 1 तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की 204 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा के मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051-2070 के अनुसार हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.38 है0 व 217 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.58 है0 कायम हुए है।

आवंटीगण द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। मौके पर उपरोक्त आवंटनशुदा आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं है एवं आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है।

अतः प्रार्थना पत्र माननीय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को आवंटित की गई उपरोक्त वर्णित साबिक आराजी खसरा नं0 204 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.38 है0 व 217 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.58 है0 वाकै ग्राम अलवर नं. 1 तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की बाबत आवंटी के नाम जारी आवंटन आदेश को निरस्त किया जाकर भू राजस्व कम किए जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अलवर नं. 1 दिनांक 21.10.2024 उक्त विवादित आवंटित हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.38 है0 व 217 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.58 है0 वाकै ग्राम अलवर नं. 1 किस्म बारानी-उत्तम आवंटीगण/अप्रार्थीगण कुन्दन राम पुत्र श्री सोबला, श्रीमती किशनदेई पत्नी स्व0 श्री प्रेमचन्द, बक्शी पुत्र श्री देवी सहाय, मवासी पुत्र श्री प्रेमचन्द, श्रीमती शिताबी पत्नी श्री सोबलाराम, शिबूराम पुत्र श्री प्रेमचन्द, सुरेश चन्द पुत्र श्री सोबलाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का अलवर नं. 1 उक्त आराजी हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.38 है0 व 217 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.58 है0 वाकै ग्राम अलवर नं. 1 किस्म बारानी-उत्तम पर अप्रार्थी/आवंटी गैर खातेदारान का कब्जा नहीं है तथा मौके पर उक्त आराजी पर सेना विभाग द्वारा तारों की फैंसिंग कर कब्जा किया हुआ है। रिपोर्ट पटवारी हल्का से स्पष्ट है कि उक्त आवंटित हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.38 है0 व 217 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.58 है0 वाकै ग्राम अलवर नं. 1 किस्म बारानी-उत्तम भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से आदिनांक तक कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। मौके पर उपरोक्त आवंटनशुदा आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं रहा है एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी/आवंटी गैर खातेदारान द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद से कृषि कार्य हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी/आवंटी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की

श्री देवत सिंह (प्रथम)
अलवर (राज०)

गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा आवंटीगण/अप्रार्थीगण कुन्दन राम पुत्र श्री सोबला, श्रीमती किशनदेई पत्नी स्व0 श्री प्रेमचन्द, बवशी पुत्र श्री देवी सहाय, मवासी पुत्र श्री प्रेमचन्द, श्रीमती शिताबी पत्नी श्री सोबलाराम, शिबूराम पुत्र श्री प्रेमचन्द, सुरेश चन्द पुत्र श्री सोबलाराम को आवंटित की गई उक्त आराजी हाल खसरा नंबर 216 रकबा 0.38 है0 व 217 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी-उत्तम भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)